न्यायालय उपजिलाधिकारी आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर।

बी०एम० मेमो० डिग्री कालिज ककरहीं किशुनपुर, (माडरमऊ) अम्बेडकरनगर। बनाम गाँव सभा

मु० नं० 09

मु० अन्तर्गत धारा 143 ज० वि०अधि०
मौजा- ककरहीं किशुनपुर, पर०-बिड़हर,
तहसील-आलापुर, जिला- अम्बेडकरनगर।

प्रस्तुत वाद रामधारी यादव पुत्र राजमन यादव बहैसियत प्रबन्धक बी० एम० मेमोरियल डिग्री कालिज ककरहीं किशुनपुर, (माडरमऊ) अम्बेडकरनगर उ०धारा 143 ज० वि०अधि० बावत् गाटा सं० 21/1.284है० में से 1.012है० स्थित ग्राम- ककरहीं किशुनपुर, पर०-बिड़हर, तहसील-आलापुर, जिला- अम्बेडकरनगर प्रस्तुत प्रा० पत्र पर प्रेषित तहसीलदार आलापुर की जाँच रिपोर्ट दिनांक- 12-7-2011 पर पंजीकृत किया गया। वादी के कथन एवं हल्का लेखपाल, रा० नि० जहाँगीरगंज तथा तहसीलदार आलापुर की जाँच आख्या से स्पष्ट है कि गाटा सं० 21/1.284है० स्थित ग्राम- ककरहीं किशुनपुर, पर०-बिड़हर, तह०-आलापुर, जिला- अम्बेडकरनगर का रकबा 1.012है० बी०एम०मेमो० डिग्री कालिज ककरहीं किशुनपुर (माडरमऊ) अम्बेडकरनगर द्वारा कृषि कार्य से इतर आबादी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो कागजात देही में मौके के विपरीत बी०एम० मेमो० डिग्री कालिज ककरहीं किशुनपुर (माडरमऊ) प्रबन्धक रामधारी यादव पुत्र राजमन यादव नि० ग्राम- इमामुद्दीनपुर के नाम संक्रमणीय [illegible] अधिकार प्राप्त भूमिधर के रूप में अंकित है, किसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है, वाद निर्विवाद है, खातेदार की याचना पर विवादित भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है, विवादित भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम- ककरहीं किशुनपुर, पर०-बिड़हर, तहसील- आलापुर, जिला- अम्बेडकरनगर के खाता सं० 55को गाटा सं०21/1.012है० गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है, परवाना अमलदरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाख़ि दफ्तर हो।

दिनांक:- 12-XII-11

12.XII.11
उपजिलाधिकारी
आलापुर।

मिलान किया
शब्द संख्या 350
सवाल नं० 352

True Copy
Dated 21-2-15
reader to S.D.M. Alapur